



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223993
CG-DL-E-29122020-223993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4174]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942

No. 4174]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4758(अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर श्री गया प्रसाद, उप महानिदेशक (ग्रामीण आवास), संयुक्त सचिव स्तर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 24/17/2010-आईएफ-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2020

S.O. 4758(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Gaya Prasad, Deputy Director General (Rural Housing), JS level, Ministry of Rural Development, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders vice Shri Prasant Kumar.

[F. No. 24/17/2010-IF.II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser